

परिशिष्ट
'क'

पूरक जानकारी (सूची)

(क) अतिक्रमणकारियों के नाम पते सहित सूची:-

1. नसरीन खॉन पति इब्राहिम खॉन का 14X22 वर्गफीट अवैध कब्जा
2. ताराबाई बेवा संजय का 20X25 वर्गफीट अवैध कब्जा
3. राहुल पटले पिता यादोराव का 12X25 वर्गफीट अवैध कब्जा
4. जीवनबाई पति राजकुमार का 10X12 वर्गफीट अवैध कब्जा
5. गीता सूर्यवंशी पिता सूर्यदास का 10X18 वर्गफीट अवैध कब्जा
6. शैलेश पिता ज्ञानदास का 10X12 वर्गफीट अवैध कब्जा

(ख) मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत वितरित अस्थाई पट्टों की जानकारी

1. मे0कलाम पिता सफी को 11X11 वर्गफीट दिनांक 31.08.2013
2. नाजिया पति सलीम को 22X12 वर्गफीट दिनांक 31.08.2013
3. समीना पिता शमसेर को 13X18 वर्गफीट दिनांक 31.08.2013
4. नितीन पौनीकर पिता सुरेश 13X16 वर्गफीट दिनांक 31.08.2013
5. उर्मिला पति कोयमारे को 10X14 वर्गफीट दिनांक 31.08.2013

(ग) तहसील न्यायालय वारासिवनी द्वारा बेदखली आदेश दिये गये हैं

1. नसरीन खॉन पति इब्राहिम खॉन को दिनांक 30/04/2016 एवं 16/06/2016 एवं बेदखली आदेश दिनांक 23/11/2016
2. ताराबाई बेवा संजय को दिनांक 08/06/2015 एवं 10/06/2015 एवं बेदखली आदेश दिनांक 23/11/2016
3. राहुल पटले पिता यादोराव को दिनांक 08/07/2016 एवं बेदखली आदेश 23/11/2016
4. जीवनबाई पति राजकुमार को दिनांक 08/07/2016 एवं बेदखली आदेश 23/11/2016
5. गीता सूर्यवंशी पिता सूर्यदास को दिनांक 08/07/2016 एवं बेदखली आदेश 23/11/2016
6. शैलेश पिता ज्ञानदास को दिनांक 08/07/2016 एवं बेदखली आदेश 23/11/2016 कौ दिये गये हैं।

इन सभी अतिक्रमणकर्ताओं को 7 दिवस का समय अतिक्रमण हटाने का दिया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर इस न्यायालय के द्वारा उक्त सभी अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण 15 दिवस के भीतर हटा दिया जावेगा। सभी अतिक्रमणकारियों को जारी बेदखली आदेश सूचना की छायाप्रति संलग्न है।

तहसीलदार
वारासिवनी जिला बालाघाट
तहसीलदार
वारासिवनी